11

3

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक–ता0.................................. से ....

जिला– पलामू..........सं0 – ....04 सन्– 2022-23

केस का प्रकार – [illegible] (पंजी-II में प्लॉट एवं रकबा ऑनलाइन करने हेतु जाँच)

आदेश की क्रमसं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3

25/8/2022

श्री राजदेव राम, सेवानिवृत शिक्षक, ग्राम बारालोटा, जी0एल0ए0 कॉलेज के निकट, थाना शहर मेदिनीनगर के द्वारा उपायुक्त, पलामू को सम्बोधित एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया कि खतियान में दर्ज भूमि के अनुसार ऑनलाईन पंजी–2 में निम्न प्रकार से भूमि को दर्ज किया जाय :–

मौजा / थाना नं0	खाता	प्लॉट	रकबा	जमाबंदी सं0	मांगधारी का नाम
बारालोट / 198	220	20	0.51 ए0	पृ0 94 / 1	प्रगासिया कहारीन
तदैव	103	148	$0.91\frac{1}{2}$ ए0	पृ0 46 / 1	बनवारी कहार वगै0 दसई चमार

श्री राजदेव राम के आवेदन के विरुद्ध श्री शिवप्रसाद राज पिता स्व0 परमानन्द प्रसाद अग्रवाल निवासी आढ़त रोड, मेदिनीनगर के द्वारा आपति आवेदन समर्पित किया गया है।

आवेदक एवं आपतिकर्ता के पक्ष को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित किये गये कागजातों का अवलोकन किया एवं राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

आवेदक का कहना है कि मौजा बारालोटा के कैडस्ट्रल सर्वे खतियान में भूमि निम्नवत् दर्ज हैं :–

खतियानी रैयत का नाम	खाता	प्लॉट	रकबा
परगास कहार वल्द दुईस कहार वो मसोमात कवीलसीया जौजे सुकर कौम कहार	220	20	1.44
		942	1.24
		955	0.08
		957	0.54
		963	0.40
		965	0.12
		1730	0.05
		270	0.22
प्रगास कहार वगै0	103	1023	0.05
		1070	0.05
		1027	0.44
		1094	0.16
		1096	0.26
		1143	0.13
		1155	0.07
		148	2.47

P.T.O

		1686	1.02
		1700	1.55
		1780	0.70
खतियान अनुपलब्ध	56	1001	0.41
		1002	0.09
	68	951	0.21
	93	956	0.25
	157	1780	0.73
		1642	0.63
			13.31 ए0

कुल –

आवेदक ने अपने पूर्वज एवं खतियानी रैयत का वंशवृक्ष निम्नवत् बताया गया :–

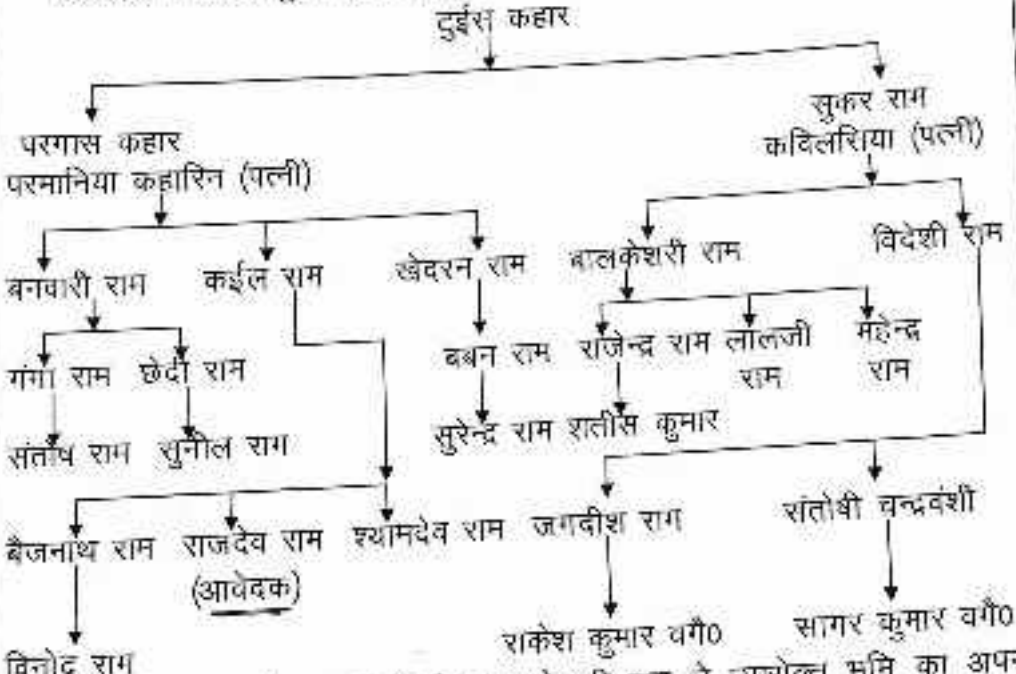

आवेदक का आगे कहना है कि बालकेश्वरी राम ने उपरोक्त भूमि का अपना 1/4 हिस्सा का नामांतरण दा0 खा0 वाद सं0– 122/68–69 से आदेश दिनांक– 15.06.70 से अपने नाम से करा लिया जिसका लगान रसीद जमाबंदी सं0– 495 पर खाता सं0– 55, 68, 93, 220, 157, 103 रकबा– क्रमशः $0.12\frac{1}{2}$, $0.05\frac{1}{4}$, $0.06\frac{1}{4}$, $0.96\frac{1}{4}$, $0.07\frac{7}{8}$, $0.88\frac{1}{3}$ कुल $2.16\frac{3}{4}$ बिक्रीत रकबा 0.44 अवशेष $1.77\frac{3}{4}$ ए0 का दर्ज है।

आवेदक का यह भी कहना है कि खाता– 220, प्लॉट सं0– 20 में 93 डी0 भूमि का अधिग्रहण आवासीय कॉलोनी हेतु झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के लिए भू–अर्जन वाद सं0– 42/1983–84 से हुआ है।

आवेदक का कहना है कि झारखण्ड आवास बोर्ड के अधिग्रहण के उपरांत प्लॉट– 20 में 0.51 एकड़ भूमि बचता है, जिसकी प्रविष्टि प्रमासिया कहारिन के नाम की जमाबंदी पर होनी चाहिए। आवेदक के इस कथन पर ही आपतिकर्ता की आपति है। आपतिकर्ता का कथन है कि खाता–220, प्लॉट–20 का खतियानी रकबा– 1.44 एकड़ है। इस सम्पूर्ण रकबा को खतियानी रैयत ने जमींदारी काल में ही तत्कालीन जमींदार को इस्तिफा दे दिया था जिसके कारण जमींदारी उन्मूलन के उपरांत 93

P.T.O.

डीसीमल भूमि का एम रॉल जमींदार के वंशज श्री रामपृत तिवारी व रामप्यारी तिवारी व जयश्री तिवारी व रामउग्रीव तिवारी पिता श्री खखनू तिवारी के नाम से अन्य भूमि 29.93 एकड़ के साथ बना। इसी 93 डिसीमल भूमि पंजीकृत विक्रयपत्र संख्या– 6307 एवं 6308 दिनांक– 16.07.1979 से इनके द्वारा श्रीमती सरस्वती देवी पति रघुनंदन सिंह आजाद, श्री रामकेश महतो पिता स्व0 निरपत महतो एवं महिला शिल्प कला भवन डालटनगंज द्वारा श्री गनौरी ठाकुर, सचिव, शांति देवी पति गनौरी ठाकुर तथा सचिव सर्वोदय शिशु मंडल डाल्टनगंज को बिक्री कर दिये। आवेदक द्वारा L.A. Case No. 42/1983-84 बनाम् बिहार आवास बोर्ड में प्लॉट सं0– 20 हेतु किये गये मआवजा निर्धारण/भुगतान से संबंधित पृष्ट की नकल की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया, जिसके अवलोकन से पाया गया कि इस प्लॉट के कुल अधिगृहित 93 डी0 रकबा में से निम्नवत् भुगतान हुआ है :–

i. रकबा– 20 डी0 :– छेदी राम वो गंगा राम पे0 बनवारी राम, बबन राम पे0 खेदरन राम वो कैल राम पे0 प्रगास राम वो बिदेशी राम वो कैल राम पे0 प्रगास राम वो बिदेशी राम वो बलकेशरी राम पे0 सुकर राम LA वाद अभिलेख के आदेशपत्रक में दिनांक– 25.07.97 को अंकित है कि शपथपत्र सं0– 2, दिनांक– 05.06.97 से छेदीराम, गंगा राम, बैजनाथ राम वल्द कइल राम ने अपने हिस्से की क्षतिपूर्ति बबन राम को प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किया है। अवशेष विदेशी राम, बलकेशरी राम के वारिसान संतोषी राम पे0 विदेशी राम, राजेन्द्र राम, महेन्द्र राम पे0 बलकेशरी राम ने जमीन से इस्तिफा दिया है जैसा कि शपथ सं0– 18, दि0– 08.05.97 से स्पष्ट है।

ii. रकबा– 52 डी0 श्रीमती शांति देवी जौजे गनौरी ठाकुर खरीदगी केवाला के आधार पर।

(iii) 15 डी0 श्रीमती प्रेमलता देवी जौजे रामेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव को खरीदगी केवाला के आधार पर

iii. 6 डी0– रामकेश महतो पिता नीरपत महतो खरीदगी केवाला के आधार पर।

आपतिकर्ता ने LA Case No. 42/83-84 के वाद अभिलेख के आदेश पत्रक दिनांक– 20.09.95 की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित है कि पंचाट संख्या–16 छेदी राम वगै0 के नाम से घोषित है तथा पंचाट की राशि आर0 डी0 में जमा है। मौजा बारालोटा के खाता संख्या– 220 , खेसरा संख्या– 20, रकबा– 93 डी0 के संबंध में श्री गनौरी ठाकुर ने एम–रॉल वर्ष 1956 की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार उक्त जमीन का लगान BLR Act की धारा 5, 6, 7 के अंतर्गत रामप्रीत तिवारी, रामप्यारी तिवारी सा0 बारालोटा के नाम निर्धारित किया गया है। सुनवाई के क्रम में रामकेश महतो वल्द नीरपत महतो, श्रीमती प्रेमलता देवी, शांति देवी एवं बबन राम वगै0 ने पंचाट के विरुद्ध आपति दर्ज की। आपतिकर्ता रामकेश महतो एवं गनौरी ठाकुर के ओर से एक **निबंधित केवाला 6307, दि0– 16.07.79** की छायाप्रति प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार रामप्यारी तिवारी, जयश्री तिवारी, रामउग्रीव तिवारी एवं राजेश्वर तिवारी ने 1. रामेश महतो वल्द नीरपत महतो को खाता–220, प्लॉट 20, रकबा– 10 डी0 2. श्रीमती सरस्वती देवी जौजे रघुनंदन सिंह आजाद को 10 डी0 3. सचिव महिला कला केन्द्र को 20 डी0 कुल रकबा 93 डी0 में से 40 डी0 बिक्री किया। **निबंधित केवाला सं0– 6308 दिनांक– 16.07.79**

P.T.O.

को रामप्यारी तिवारी वगै0 पे0 खखनू तिवारी एवं राजेश्वर तिवारी पे0 स्व0 रामप्रीत तिवारी ने श्रीमती शांति देवी जौजे गनौरी ठाकुर सचिव सर्वोदय शिशु मंडल डाल्टनगंज को खाता 220 खेसरा 20, रकबा– 20 डी0 एवं गनौरी ठाकुर वल्द गोखुल ठाकुर सा0 डाल्टनगंज को 33 डी0 बिक्री किया। आपतिकर्ता प्रेमलता देवी जौजे राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने **निबंधित केवाला सं0– 9660 दिनांक– 06.09.91** की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार श्रीमती सरस्वती देवी जौजे रघुनंदन सिंह आजाद ने 10 डी0 जमीन प्रेमलता देवी को बिक्री किया। सभी क्रेताओं के नाम से सरकारी लगान रसीद कटती है जिससे प्रमाणित होता है कि उनके नाम जमाबंदी कायम हो चुकी है

~~iv. 15 डी0 श्रीमती प्रेमलता देवी जौजे राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल को खरीदगी केवाला के आधार पर।~~

जमीन जो अधिग्रहण के अंतर्गत है, इस प्रकार है :–

1. रामकेश महतो :– खाता–220, प्लॉट–20, रकबा– 0.06 ए0
2. श्रीमती प्रेमलता देवी :– खाता– 220, प्लॉट– 20, रकबा– 0.15 ए0
3. श्रीमती शांति देवी जौजे गनौरी ठाकुर खाता–220, प्लॉट–20, रकबा–0.52 ए0
4. श्री बबन राम वगै0 :– खाता–220, प्लॉट– 20, रकबा– 0.20 ए0

उपरोक्त आदेश एवं निर्णय के आलोक में पंचाट में सुधार कर क्षतिपूर्ति का निर्धारण करें।

इस तरह उपरोक्त 93 डी0 भूमि का भू–अर्जन पदाधिकारी ने पंचाट निर्धारण केवाला से खरीदगी के आधार पर किया है तथा खतियानी रैयत के वारिसानों ने उक्त पंचाट पर आपति व्यक्त नहीं किया हैं, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि खतियानी रैयत से ही जमींदार को भूमि वापस प्राप्त हो चुकी थी, जिसका लगान निर्धारण BLR Act के अंतर्गत 1956 में हुआ।

आपतिकर्ता का आगे कहना है कि केवाला सं0– 377, वर्ष 1922 से इनके पूर्वज वंशीधर वल्द विशुन प्रसाद अग्रवाल ने मौजा बारालोटा के प्लॉट सं0– 21 में मवाजी पाँच बीघा जमीन (दो हाँथ के बांस से) वास्ते बनाने कारखाना कोठी लाह के लिए तत्कालीन जमींदार विशुनाथ तिवारी (कल्टु तिवारी) वो अवध बिहारी तिवारी वल्द ठोउन तिवारी से खरीद किये थे, जिस केवाला में उल्लेखित है कि मनमोकिरान अपने दूसरे जमीन में होकर कारखाना का पानी निकलने देंगे। इनका कहना है कि प्लॉट 20 का प्रयोग इनके पूर्वज के समय से ही लाह कारखाना के पानी की निकासी हेतु किया जा रहा है। वर्तमान में लाह कारखाना बंद है किंतु उक्त साक्ष्य उपलब्ध है।

आपतिकर्ता का आगे कहना है कि मौजा बारालोटा के खाता 220, प्लॉट 20, रकबा 30 डी0 भाग पर एवं मौजा सुदना प्लॉट सं0– 1361, रकबा– 0.065 को प्रतिफल कब्जे के आधार पर स्वत्व घोषित करने हेतु इनके पिता परमानंद अग्रवाल आदि ने प्रथम न्यायकर्ता डालटनगंज पलामू के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0– 12/1983 दाखिल किये जो दिनांक– 26.11.94 को खारिज हुआ एवं आदेश में अंकित है कि – **"फलतः उपरोक्त वाद विन्दुओं के निस्तारण निर्णय के आलोक में वादीगण का कब्जा पाते हुए भी अनुतोष नहीं दिया जा सकता है।"** इस वाद में खतियानी रैयत के वंशजो को प्रतिवादी नहीं बनाया गया हैं, बल्कि

P.T.O.

रामप्यारी तिवारी वगै0 के द्वारा बिक्रीत भूमि के क्रेता को प्रतिवादी बनाया गया है। आपतिकर्ता का कहना है कि इस आदेश के विरुद्ध TA 5/1995 भी खारिज हो चुका है। अब उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राँची में द्वितीय अपीलवाद सं0– SA/442/2003 दायर किया गया है जो अभी लम्बित है।

आपतिकर्ता का आगे कहना है कि मौजा बारालोटा खाता सं0– 220, प्लॉट सं0– 20, रकबा– 0.51 ए0 भूमि हेतु इनके पिता परमानंद अग्रवाल ने एक विविध वाद सं0– 610/2005 दफा 145 द0 प्र0 सं0, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर मेदिनीनगर के न्यायालय दाखिल किया गया है जिसमें दिनांक– 07.11.2007 को कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर मेदिनीनगर के न्यायालय के आदेश से दफा 146 (1) द0 प्र0 सं0 के अंतर्गत उक्त भूमि कुर्क (अटैच) किया गया है तथा थाना प्रभारी शहर थाना डाल्टनगंज को रीसीवर नियुक्त किया गया है। यह वाद अभी भी प्रक्रियाधीन है।

आपतिकर्ता का आगे कहना है कि मौजा बारालोटा के खाता सं0– 220, प्लॉट सं0– 20, रकबा– 0.51 ए0 भूमि लगान निर्धारण हेतु वाद संख्या 8/2001–02 के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन हैं, जिसमें अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर के द्वारा अपने आदेश दिनांक– 10.11.2003 से परमानंद अग्रवाल पे0 भदुलाल अग्रवाल के नाम से लगान निर्धारण की अनुशंसा कर अभिलेख को अपर समाहर्त्ता, पलामू को भेजा गया हैं, जो अभी निर्णय हेतु लंबित है।

आपतिकर्ता ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर खाता 220, प्लॉट– 20 की प्रविष्टि ऑनलाईन पंजी–2 में प्रभासिया कहारिन जौजे प्रगास कहार के होल्डिंग में नहीं करने का अनुरोध किया गया हैं, क्योंकि कभी भी यह प्लॉट उस होल्डिंग में दर्ज नहीं रहा है।

मौजा बारालोटा के पंजी–2 में संधारित हो0 सं0 93 का अवलोकन किया जिसमें रैयत का नाम प्रभासीया कहारिन प्रभास कहार वगै0 दर्ज है तथा खाता– 220 रकबा 2.43 एकड़ हेतु वर्ष 1963–64 में खुला हैं, जिसमें नामांतरण के उपरांत बचत रकबा मात्र 0.32 ए0 दिखाया गया है। यदि खाता 220 के सभी प्लॉटों का रकबा जोड़ा जाय तो कुल रकबा 4.09 एकड़ आता है किंतु मांग प्रारम्भ में ही केवल 2.43 एकड़ का खुला है ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्लॉट के कितने रकबा का मांग संधारित हुआ एवं कितने रकबा/प्लॉट को खतियानी रैयत ने ही इस्तिफा या बिक्री कर दिया था क्योंकि 4.09–2.43 = 1.66 एकड़ भूमि वर्ष 1963–64 के पूर्व ही जमाबंदी से घट चुकी थी, जिसका प्लॉटवार विवरण एवं कारण अज्ञात है एवं आवेदक भी इसे स्पष्ट नही कर पा रहें है। प्रश्नगत भूमि परती हैं। आवेदक का उक्त भूमि पर कभी भी दखल रहा हो ऐसा कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं है। उस प्लॉट में कतिपय बिक्रयपत्र हुए है, जिसे दिखाया गया किंतु किसी के भी चौहदी में आवेदक नहीं है। निबंधित बिक्रय पत्र सं0– 7905/2005 एवं 7906/2005 से श्री संतोषी राम पे0 बिरंगी राम, छेदी राम व गंगा राम पे0 बनवारी राम, बबन राम पे0 स्व0 खदेरन राम ने क्रमशः 40 डी0 व 10 डी0 भूमि 1. नन्द कुमार यादव व रीता देवी पति नंद कुमार यादव तथा 2. विद्या देवी पति नन्दलाल महतो को बिक्री की गई है। इसतरह हाउसिंग कॉलोनी के अधिग्रहण की भूमि 93 डी0 के अतिरिक्त 50 डी0 भूमि की बिक्री

P.T.O.

की गई तो कुल अधिगृहित एवं बिक्रीत भूमि 1.43 एकड़ हो जाता है ऐसे में बचत रकबा रकबा मात्र 01 डी0 ही रहता है। इसके अतिरिक्त ललिता देवी पति खेदु चौधरी ने भी भूमि क्रय कर नामांतरण वाद संख्या 148/2001–02 से हो0 सं0– 3342 पर खाता 220, प्लॉट 20, रकबा– 10 डी0 का मार्ग खुलवाये है। नामांतरण वाद संख्या– 122/68–69 से हो0 सं0– 495 पर $96\frac{3}{4}$ डी0 इसी होल्डिंग से घटकर गया हैं तथा हो0 सं0– 496 पर भी $96\frac{3}{4}$ डी0 भूमि इसी होल्डिंग से घटकर गया है। ऐसे में अब प्लॉट 20 में मूल होल्डिंग हेतु कोई रकबा अवशेष नहीं बचता है जिसे हो0 सं0– 93 प्रभासिया कहारिन के नाम पर खाता– 220, प्लॉट–20 हेतु प्रविष्टि की जा सके।

आवेदक के द्वारा आवेदित मौजा बारालोटरा के खाता सं0– 103, प्लॉट 148 रकबा– $0.91\frac{1}{2}$ ए0 की प्रविष्टि भौतिक पंजी–2 के हो0 सं0– 44 बनाम् बनवारी कहारिन के संबंध में राजस्व उपनिरीक्षक ने निम्नांकित रिपोर्ट समर्पित किया हैं :–

1. ग्राम बारालोटा के खाता सं0– 103, प्लॉट सं0– 148 का कुल खतियानी रकबा– 2.47 ए0 है एवं विगत सर्वे खतियान में प्रगास कहार वगै0 का नाम दर्ज है। इस प्लॉट की सम्पूर्ण भूमि खतियानी रैयत के वंशजो के द्वारा निम्नवत् बिक्री की गई हैं :–

क्र0	केवाला/वर्ष	क्रेता का नाम	खाता	प्लॉट	रकबा (ए0)
1	2923/1961	सच्चिदानंद त्रिपाठी	103	148 (जो पूर्व में 149 था जिसे DCLR के वाद सं0 3/2016–17 से 148 किया गया है।)	$1.23\frac{1}{2}$ ए0
2	4473/1961	तदैव	103	148	0.31
3	2193/1966	रामदुलारी देवी पति सच्चिदानंद त्रिपाठी	103	148	$0.92\frac{1}{2}$
4	3782/2006	नन्द कुमार यादव	103	148	0.88

इस तरह खतियानी रकबा से अधिक रकबा की बिक्री खतियानी रैयत के वारिसानों के द्वारा किया गया है। क्रेतागण के द्वारा भी विभिन्न रैयतों को बिक्री की गई हैं, जिसके उपरांत निम्नांकित लोगों का वर्त्तमान में मांग पंजी–2 में मांग चल रहा है :–

क्र0	रैयत का नाम	खाता	प्लॉट	रकबा	दा0 खा0 वाद सं0	हो0 नं0
1	वीणा त्रिपाठी पति प्रेमचन्द त्रिपाठी	103 101	148 149	$0.74\frac{3}{20}$	1321/2005–2006	4712
2	दिवाकर चन्द पाण्डेय पिता स्व0 मुनेश्वर पाण्डेय	103 101	148 149	$0.74\frac{3}{20}$	1314/2005–2006	4711

P.T.O

3	इन्दु दूबे पति अजीत कु0 दुबे	103	148	0.39	473/2006–2007	4978	109/3 1
4	चंदा दूबे पति रामप्रसाद दूबे	103	148	0.10	473/2006–2007		110/3 1
5	रविन्द पाण्डेय पिता भागिरथि पाण्डेय	103	148	0.07	820/2006–2007	5080	212/3 1
6	विन्दु देवी पति जोधन राम	103	148	0.08	820/2006–2007	5080	213/3 1
7	पूनम गुप्ता पति अनील कुमार गुप्ता	103	148	0.06	1322/2008–2009	6221	124/3 7
8	सुधा देवी पति अगस्त तिवारी	103	148	0.04	96/2006–2007	4852	186/3 0
9	कुन्ती देवी पति सुशील रवि	103	148	0.08	96/2006–2007	4853	187/3 0
10	शिवकुमारी देवी पति अवधेश सिंह	103	148	0.04	96/2006–2007	4854	188/3 0
11	नन्दकुमार यादव पिता रामवृक्ष यादव	103	148	0.88 बिक्री के पश्चात् 24.65	112/2006–2007	4883	
12	शशिभूषण दुबे पिता ध्रुवशंकर दुबे	103	148	0.17	291/2008–09	5678	179/3 4
13	रविभूषण दुबे पिता ध्रुवशंकर दुबे	103	148	0.25	291/2008–09	5679	180/3 4
13	गुप्ताशंकर दुबे पिता राजेश्वर दुबे	103	148	0.10	291/2008–09	5680	181/3 4
14	अरविन्द कु0 दुबे पिता देवनारायण दुबे	103	148	$0.23\frac{1}{2}$	88/2006–07	6655	161/3 9
15	सच्चिदानन्द त्रिपाठी पिता स्व0 रामधारी त्रिपाठी	103	148	$0.15\frac{1}{2}$		931	158/5

2. ऐसे में पुनः से खतियानी रैयत के होल्डिंग में भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वापस किया जाना नियमसंगत नहीं है।
3. आवेदक द्वारा ऑनलाईन मांग पंजी–2 में खाता–220, प्लॉट– 20, एकबा–0.51 ए0 भूमि एवं खाता नं0–103, प्लॉट – 148, रकबा– $0.92\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि सुधार हेतु दिया गया। आवेदन पत्र सुधार के योग्य नहीं है क्योंकि संबंधित प्लॉट का विभिन्न रैयतों के नाम से मांग चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र के अनुसार सुधार नहीं किया जा सकता है।

मौतिक पंजी–2 हो0 सं0– 44 बनाम् बनवारी कहार वगै0 का अवलोकन किया एवं पाया कि वर्ष 1963–64 में इस होल्डिंग में खाता 103 रकबा– 7.05 एकड़ का मांग अंकित किया गया जबकि खाता 103 का सभी प्लॉटों का कुल खतियानी रकबा ही 6.90 एकड़ था। इसमें से नामांतरण के उपरांत $2.21\frac{3}{4}$ एकड़ रकबा बचा है। किंतु यह रकबा किस–किस प्लॉट का कितना–कितना है, न तो आवेदक बता पा

P.T.O.

रहे हैं और न ही राजस्व कर्मचारी। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट हैं कि प्लॉट 148 का खतियानी रकबा– 2.47 ए0 है जबकि इसमें कुल बिक्रीत रकबा सच्चिदानंद त्रिपाठी एवं उनकी पत्नी रामदुलारी देवी के नाम से ही 2.47 ए0 है तथा इसके अतिरिक्त नन्द कुमार यादव के नाम से 88 डी0 है। इसतरह खतियानी रैयत एवं उनके वारिसानों ने पहले ही कुल रकबा से 88 डी0 अधिक की बिक्री की गई है। वर्त्तमान में इस प्लॉट हेतु संधारित मांगो का विवरण जो राजस्व उपनिरीक्षक ने प्रस्तुत किया है का जोड़ 349.95 डी0 होता है, अर्थात् खतियानी रकबा 247 डी0 से 102.95 डी0 अधिक। ऐसे में आवेदक के आवेदन पर खतियानी रैयत के जमाबंदी प्लॉट 148 रकबा– $0.91\frac{1}{2}$ ए0 की प्रविष्टि का कोई न तो वैध आधार है और न ही यथोचित है।

अतः आवेदक का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। राजस्व उपनिरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्लॉट सं0– 20 एवं 148 में संधारित अति मांग (Over Demand) को चिन्हित कर खारिज करने हेतु यथोचित प्रस्ताव दें।

अभिलेख अग्रेतर निर्णयन/कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर मेदिनीनगर को भेजें एवं आदेश की प्रति राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक को हस्तगत करायें।

अंचल अधिकारी,
सदर मेदिनीनगर।

Digitally signed by Jhunoo Kumar Mishra
Date: 2022.09.21 12:47:34 +05:30
Location: 192.168.91.152